

र व  
गम  
की  
नारी

लीलाधर बनाम सुशीला देवी वगै०  
मु०नं० 67/2018  
प्रार्थना पत्र अ०धा० 212

दिनांक -20.02.2020 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में जाहिर किया गया कि प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर मनन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बहस सुनने पर जारी आदेश दिनांक 12.06.2018 को खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल-शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो एवं मूल दावों के संलग्न रहें।

(अभिलाषा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरजगढ़

